

No. 13.10.518.01.2018

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

कृपया पृष्ठ संख्या 03-01/पठ पर रक्षित: श्री. गोपाल सिंह
स्वाधीन समापुद्देशक, बिहार सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय
नई दिल्ली के वरीय अधिकारिता श्री रंजीत कुमार के विपन्न
अनुदान के संबंध में भेजे गए पत्र का अवलोकन करना
चौधेगा। श्री कुमार का विपन्न का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रमा संख्या	नाम संख्या	कोई-नं/ दिनांक	विपन्न की राशि
1	SLP(L) NO-9029/17 Rameshchandra Singh	11/27.7.18	₹ 50,000/-

विदित है कि पूर्व में विधि संख्या की संयुक्त संख्या 13.10.1
845.2017 के पृष्ठ संख्या 14-15/प्रि पर प्रबंध-निदेशक मधेय
द्वारा श्री रंजीत कुमार, वरीय अधिकारिता माननीय सर्वोच्च न्यायालय
नई दिल्ली विभाग की ओर से भेजी जाने की अनुमति दी गई
है (पृष्ठ संख्या - 6-5/पठ पर प्रत्यक्ष)।

अतः यदि मान्य हो तो

वरीय अधिकारिता श्री रंजीत कुमार को SLP(L) NO-9029/17
रामचंद्र सिंह बनाम जी. एस. एफ. सी. में माननीय सर्वोच्च
न्यायालय, नई दिल्ली में दिनांक 27.7.18 को बहस करने के
फीस की राशि ₹ 50,000/- (पांच लाख पचास हजार) रुपये
के अनुदान के संबंध में प्रबंध-निदेशक मधेय का अनुमोदन
प्राप्त करना चौधेगा।

अंशक

उप महाप्रबंधक
क्रय एवं विधि

रूपमा, अंशक "क" अनुमोदन
पत्र अनुमोदनार्थ

Typed

100-13.10.518.01.2018

02

Page No.

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

प्रबन्ध निदेशक कोषांग
संचिका आगत: 20/0
अंकित तिथि: 4/8/18
प्रेषण तिथि: 6/8/18

कृपया पृष्ठ 01 से लगातार कार्यालय टि० का अवलोकन किया जाय। अवलोकनोपरान्त टि० पृष्ठ 1 के अंश 'क' पर प्रबंध निदेशक महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।

मु० महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति) महोदय।

Ram
02.08.18

हुपमा।

प्रबन्ध निदेशक

राम

4/8

महोदय। मूल विपत्र प्राप्त करने हेतु

24/8/18

कृपया प्रबन्ध निदेशक महोदय के स्वीकृति के पश्चात निधमानुसार विपत्र पारित करने हेतु संचिका महाप्रबंधक वित्त को सूचना दी जा सकती है।

उप महाप्रबंधक

राम एवं विपत्र

हुपमा।

उप महाप्रबंधक (विपत्र) महोदय

Ram

02.08.18

3/8/18

श्री अश्वतीजी / वि/कुमार

वरीय अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार के विपत्र की मूल प्रति संचिका के पत्राचार भाग में रक्षित नहीं है, साथ ही प्रबंध निदेशक, महोदय का भी यही निदेश है कि मूल प्रति प्राप्त करें।

अतः मूल प्रति प्राप्त करने हेतु संचिका विधि शाखा को लौटाई जा सकती है।

उप महाप्रबंधक, पित्त।

3/8/18

विधि शाखा

3/8/18

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

कृपया पार रिप्ली मूठ पर उप महाप्रबंधक वित्त के द्वारा श्री गई रिप्ली का अवलोकन कला चोटों। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के वरीय अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार के विपत्र की मूल प्रति मूठ संख्या 12/90 पर रसित की गई है। अतः यदि मान्य हो तो विपत्र पारित होने हेतु संचिका महाप्रबंधक वित्त को प्रेषित की जा सकती है।

उप महाप्रबंधक
कृष एवं विपक्ष

कृपया /

दिनांक
23.10.18

महाप्रबंधक (वित्त) महोदय Ram 23.08.18

25.10.18

श्री रिप्ली के.

श्री रंजीत कुमार, वरीय अधिवक्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के विपत्र रु. 5,50,000.00 की स्वीकृति प्रबंध निदेशक महोदय से ली गयी है किंतु विपत्र में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 देय है जो कि रु.99,000/- होता है, जिसकी स्वीकृति नहीं ली गयी है। विपत्र की विवरणी टैक्स सहित निम्न है:-

Total Bill -	550000.00
GST on total Bill@ 18% -	99000.00
Gross Bill with all taxes GST (A) -	649000.00
10% TDS deduction on Gross Bill (B) -	55000.00
GST to be Paid by BSFC (C) -	99000.00
Net Payable to Advocate (A-B-C) -	495000.00

अतः श्री रंजीत कुमार, वरीय अधिवक्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली कुल विपत्र Taxes सहित राशि 6,49,000.00 (छः लाख उनचास हजार) रुपये पर प्रबंध निदेशक महोदय से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु संचिका विधि शाखा को लौटाया जा सकता है।

23/10/18

उप महाप्रबंधक वित्त।

उपरोक्त लैरपाल के द्वारा दिनांक 23.10.18
रिप्ली में Advocate को पर 18% GST लगाया गया है,
क्या GST Rule के अनुसार यह सही है?
आपकी रिप्ली के।

SLA, M/S L.K. Pattodina

23/10/18

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

As per the provision of GST Act If any business entity received a service from the individual advocate or firm of advocate than reverse charge provision will be applicable.

Hence, Rcm @ 18% is applicable in this case.

Satish (son)
24/10/18

Debt finance

कृपया, पार वृद्ध पर लेखापाल से उपरोक्त मुख्यालय CA के विपणी के आलोक में लेखापाल द्वारा दिये गये विपणी भाग के का अनुमोदन प्रत्यक्ष निदेशक महोदय से प्राप्त करने पारसे संचिका विधि शाखा से लौटाना जा सकार है

महप्रबंधक, वित्त

(40)
24/10/18

उपरोक्त प्रवेधक दिधि

संविदा आज दिनांक 24/10/18 को वित्त शाखा से प्राप्त

कृपया पार विपणी वृद्ध से लगातार वित्त शाखा द्वारा की गई विपणी अवलोकनार्थ यदि मान्य हो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वरीय अधिकृत श्री इंजीनर कुमा के विपण पर GST भुगतान हेतु 79000/- रुपये के भुगतान के लिए प्रबंध निदेशक महोदय से अनुमोदन प्राप्त करना चाहेंगे।

अध्यक्ष प्रबंधक
अर्थ एवं वित्त

24/10/18

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

कृपया पार टिप्पणी पृष्ठ संख्या 03/टि0 से लगातार कार्यालय टिप्पणी अवलोकनार्थ।
टिप्पणी पृष्ठ 4/टि0 के रेखांकित अंश 'क' पर प्रबंध निदेशक महोदय से आदेश प्राप्त किया जा सकता है।

महाप्रबंधक/प्रशासन।

Ram
02.11.18

कृपया।

[Signature]
5/11/18

मुख्य महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति)

कृपया।

उप महाप्रबंधक (आदेशक)

[Signature]

[Signature]
08/11/18

कृपया भवदीय के उपरोक्त स्वीकृति पर्याप्त नियमानुसार
विपत्र पारित करने हेतु संबंधित महाप्रबंधक वित्त को
पृष्ठांकित की जा सकती है।

उप महाप्रबंधक
कृष एवं विधि

कृपया।

[Signature]
15/11/18

अवलोकनार्थ एवं विपत्र पारित हेतु।

महाप्रबंधक (वित्त)

Ram
15.11.18

विपत्र पारित उपस्थापित है।

श्री शिव मे

[Signature]

15.11.18

विपत्र पूर्ण में ही पारित किया जा चुका है। अधिकांश
को वित्त शाखा को लावना जा सकता है।

[Signature]
16/11/18

उप महाप्रबंधक

उप महाप्रबंधक वित्त

कृपया।

[Signature]
16/11/18

उप महाप्रबंधक, कृष एवं विधि

प्रबंध निदेशक कोषागार
संचिका आगत संख्या 2917
आगत तिथि 02/11/18
प्रेषण तिथि 10/11/18

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

कृपया कृषि अधिकता श्री रंजीत कुमार द्वारा समर्पित विपत्र
की राशि के भुगतान हेतु मध्यप्रबंधक विपत्र को भेजे जाने वाले
पत्र का प्रारूप प्रुष्ठ संख्या 14/90 पर हस्ताक्षरों उपलब्ध

~~अग्रिम प्रबंधक~~
~~रजि एवं विधि~~

Ram
16.11.18

Devi
16/11/18

कृपया प्रुष्ठ संख्या 13-12/90 पर रसित अग्र समिति, खाद्य
एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रेषित पत्र का अवलोकन
करना चाहेगा। प्रशासी विभाग द्वारा SLP (Lg.) No- 9043/2017
मनोज साह एवं अन्य से संबंधित मामले में श्री रंजीत कुमार
कृषि अधिकता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली का
लंबित विपत्र के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है। विदित
है कि SLP (Lg.) No- 9044/2017 मनोज साह एवं अन्य
संबंधित मामले में फैली हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय
नई दिल्ली के कृषि अधिकता रंजीत कुमार द्वारा
माननीय न्यायालय में दिनांक - 27.7.18 को फैली किसे
जाने का विपत्र पूर्व में प्राप्त हुआ है, जिसका भुगतान
निगम मुख्यालय पत्रांक 11804 दिनांक 20-11-18 से 755
की कृति करते हुए किया जा चुका है (प्रुष्ठ संख्या
14/90 पर रसित), एवं कृषि अधिकता द्वारा माननीय
न्यायालय में उक्त संलग्न वाद में दिनांक 8-8-18
को फैली किए जाने का विपत्र निजीय पत्रांक 4983
दिनांक 23-10-19 से प्राप्त हुआ है।

अतः यदि मान्य हो तो प्रशासी विभाग
को पत्र प्रेषित कर यह सूचना उपलब्ध कराया जा सकता
है कि कृषि अधिकता द्वारा उपलब्ध कराये गए विपत्रों
में से एक विपत्र का भुगतान किया जा चुका है, एवं
दिनांक 8-8-18 को फैली किए जाने का विपत्र पर भुगतान
हेतु अग्रता कार्रवाई की जा रही है। तदनुसार अग्र समिति
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को भेजे जाने वाले पत्र
का प्रारूप प्रुष्ठ संख्या 14/90 पर हस्ताक्षरों उपलब्ध।

~~अग्रिम (Lg.)~~

- वृत्त संलग्न न किपत्र संलग्न
मं. 5
04.11.19

Devi
4/11/19

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

कृपया प्रुष्ठ संख्या 24-16/च० पर रक्षित प्रशासी विभाग से प्राप्त पत्र का अवलोकन करना चोहो। प्रशासी विभाग द्वारा SLP (Lr) No - 9029/2017 राम-चन्द्र सिंह बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य में वाद की सुनवाई हेतु श्री रंजीत कुमारा, वरीय अधिवक्ता, Former Solicitor General of India द्वारा समर्पित विपत्र के भुगतान के संबंध में प्रेषित किया है।

विदित हो कि निगम मुख्यालय पत्रांक 3200 दिनांक 3.4.18 से सचिव महोदय, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से श्री गोपाल सिंह, स्थायी समायोजक के प्रस्ताव के आधार पर श्री रंजीत कुमारा, वरीय अधिवक्ता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के अन्तर्गत वाद में पैरवी करने हेतु प्राधिकृत करने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में प्रशासी विभाग के पत्रांक 2035 दिनांक 27.4.18 से वरीय अधिवक्ता श्री रंजीत कुमारा को निगम के पत्र में पैरवी करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

ज्ञातव्य हो कि वरीय अधिवक्ता श्री रंजीत कुमारा द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दिनांक 27.7.18 को पैरवी करने का विपत्र प्राप्त हुआ था, जिसका भुगतान मुख्यालय पत्रांक 11804 दिनांक 20.11.18 से किया जा चुका है।

विभागीय पत्रांक 4983 दिनांक 23.10.17 से वरीय अधिवक्ता श्री रंजीत कुमारा द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में SLP (Lr) No - 9029/17 राम-चन्द्र सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पैरवी दिनांक 8-8-18 को पैरवी करने का विपत्र प्राप्त हुआ है, जिसका विवरण निम्नवत है—

क्रम संख्या

वाद संख्या

कोर्ट नं०/
दिनांक

विपत्र की रशि

5,50,000/-

SLP (Lr) No. 9029/17

11/8.8.18

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

अतः यदि मान्य हो तो निम्न की जाँच हेतु संबंधित वित्त शाखा को प्रेषित किया जा सकता है।

DGM (Legal)

कृपया।
प्रमाणित

1
Date
31/11/18

उपग्राहक (वित्त)

31/11/18

कृपया, पार दृष्टि रिपोर्ट के आलोक में जाँच अनिवार्य है।

31/11/18

श्री रवि कुमार, लिखापाल

कृपया वरीय अधिकारी श्री रंजीत कुमार को प्रति पत्र भेजा जा चुका है। दृष्टि रिपोर्ट के संबंध में शीघ्र ही रिपोर्ट दी जाएगी।

अतः पत्र दृष्टि रिपोर्ट के संबंध में शीघ्र ही रिपोर्ट दी जाएगी।

31/11/18

उप ग्राहक (वित्त)

कृपया प्रेषित रिपोर्ट।

31/11/18

DGM (Legal)

कृपया वित्त शाखा की गई रिपोर्ट अवलोकनार्थ। वित्त शाखा द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वरीय अधिकारी श्री रंजीत कुमार के पर संबंधित पत्र की जाँच की गई है, अतः के आलोक में निर्धारित करना है कि वित्त शाखा की संबंधित संख्या 13/10/518.01/2018 के प्रेषित संख्या 14/11/18 पर श्री गेपाल सिंह, स्थायी सहायक के प्रेषित पत्र के आधार पर वरीय अधिकारी श्री रंजीत कुमार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में SLP (L) No- 9043/18 व अन्य समस्त मामलों में चर्चा हेतु प्राधिकृत करने हेतु संबंधित निदेशक मधेय से आदेश प्राप्त किया गया है। (प्रेषित संख्या - 6-न/फ)

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

पर प्रकट)। प्रबंध निदेशक मधेयम द्वारा विभाग
लेनी समिति प्राप्त करने का आदेश दिया गया, जिसके
आलोक में निगम मुख्यालय पत्रांक 3200 दिनांक
03.4.18 ले खनित मधेयम, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण
विभाग से वरीय अधिकृत श्री रंजीत कुमार को अन्त
मामले में प्राधिकृत करने हेतु अनुरोध किया गया,
विषय (प्रकट संख्या - 4/90 पर प्रकट)। निगम मुख्यालय
द्वारा भेजे गए पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक
2035 दिनांक 27.4.18 से वरीय अधिकृत श्री रंजीत
कुमार को प्राधिकृत करने के संबंध में श्री गोपाल
सिंह, स्थायी समायोजक को प्रतिलिपि विभाग द्वारा
पत्र प्रेषित किया गया है (प्रकट संख्या 25/90 पर
प्रकट)।

अतः यदि मान्य हो तो वरीय अधिकृत
को विपक्ष मुकदमा पर अग्रसर कार्यवाई करने
हेतु खनिका वित्त शाखा को प्रेषित किया
जा सकता है।

DGM (Legal)

कृपया

Ramkrishna
11.11.19

15/11/19

उपमहाप्रबंधक (वित्त)

महाप्रबंधक (वित्त)

कृपया

(Signature)
15.11.19

विवाचिकापत्र

(Signature)

21/11

कृपया वरीय अधिकृत श्री रंजीत कुमार को पहले
समाप्त करने का दर निदेशक पर लिखा जाए।

(Signature)
20/11/19

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

उप महाप्रबंधक कि

कृपया, पार पृष्ठ पर लेखक की
लिखी- ~~अ~~ के आलोक में देखिका लगाया जाता है।
26/11/19

उप महाप्रबंधक, (विद्युत)

कृपया पृष्ठ सं० 37-26/प० पर रक्षित श्री मनीष कुमार, अधिवक्ता के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के वरीय अधिवक्ता, श्री रंजीत कुमार के विपत्र भुगतान के संबंध में भेजे गये पत्र का अवलोकन करना चाहेंगे। श्री कुमार के विपत्र का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं०	वाद संख्या	कोर्ट नं०/दिनांक	विपत्र की राशि
1	2	3	4
1	SLP (c) No.- 10455/2020	04/30-09-2020	4,50,000/-

विदित हो कि पृष्ठ सं० 06 एवं 05 पर प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा श्री रंजीत कुमार, वरीय अधिवक्ता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली निगम की ओर से पैरवी कराने हेतु अनुमति दी गयी है।

अतः यदि मान्य हो तो वरीय अधिवक्ता, श्री रंजीत कुमार को SLP (c) No.- 10455/2020 संजय कुमार बनाम बी०एस०एफ०सी० में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दिनांक-30.09.2020 को बहस करने की फीस की राशि 4,50,000/-रु० (चार लाख पचास हजार) के भुगतान की स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व एक बार पुनः विपत्र की जाँच अंकेक्षण शाखा से कराया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः यदि मान्य हो तो श्री कुमार द्वारा समर्पित विपत्र की जाँच हेतु संचिका उप महाप्रबंधक, अंकेक्षण को पृष्ठांकित की जा सकती है।

मुख्य महाप्रबंधक (अधि०)।

Amish K
12/10/2020
AMITESH K
L.O.C

कृपया पृष्ठ सं० 41-30/प० पर रक्षित श्री मनीष कुमार, अधिवक्ता के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के वरीय अधिवक्ता, श्री रंजीत कुमार के विपत्र भुगतान के संबंध में भेजे गये पत्र का अवलोकन करना चाहेंगे। श्री कुमार के विपत्र का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं०	वाद संख्या	कोर्ट नं०/दिनांक	विपत्र की राशि
1	2	3	4
1	SLP (c) No.- 10455/2020	04/30-09-2020	4,50,000/-

विदित हो कि पूर्व में विधि शाखा की संचिका सं० 13:10:127:01:2020 का पृष्ठ सं० 13-14/प० पर प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा श्री रंजीत कुमार, वरीय अधिवक्ता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली निगम की ओर से पैरवी कराने हेतु अनुमति दी गयी है। (पृष्ठ सं० 29-26/प० पर द्रष्टव्य)

अतः यदि मान्य हो तो वरीय अधिवक्ता, श्री रंजीत कुमार को SLP (c) No.- 10455/2020 संजय कुमार बनाम बीएसएफसी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दिनांक-30.09.2020 को बहस करने की फीस की राशि 4,50,000/रु० (चार लाख पचास हजार) के भुगतान की स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व एक बार पुनः विपत्र की जाँच अंकेक्षण शाखा से कराया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः यदि मान्य हो तो श्री कुमार द्वारा समर्पित विपत्र की जाँच हेतु संचिका उप महाप्रबंधक, अंकेक्षण को पृष्ठांकित की जा सकती है।

मुख्य महाप्रबंधक (अधि०)

कुमार /
13/4

1
12/10/2020
ANURAG ROY
C.D.C

सर्वोच्च (अधि०)

कृपया उपर्युक्त रिप्ली के आलोक में अधिवक्ता श्री मनीष कुमार द्वारा भेजे गये, श्री रंजीत कुमार का विपत्र राशि 4,50,000/रु० के भुगतान से पूर्व अंकेक्षण शाखा से जाँच कराया जा सकता है।

मुख्य महाप्रबंधक (अधि०)

13/4

1
13/10/20
संयोजक (अधि०)

महत्त्व (वि०)

कृपया विपत्र की जाँच सुधारापूर्वक
अंकेक्षण शाखा से कराया जा सके।

रुपय

15/10/2020

11.12.10 पर काशीपुर में टिफिन एवं सायकल टिक 41-30 पर
पर आनन्दीय साहबजी नारायण के आधिकारिक श्री मन्त्री
कुम्हार द्वारा श्री रजिस्टर नम्बर आधिकारिक द्वारा प्रोक्त
विषय का आधिकारिक मेरे द्वारा यह लिखा जाता है
माछाला सही है अतः आनन्दीय साहबजी को 4,50,000
आत्र है श्री 10 एस टी नं 1 आनन्दीय साहबजी द्वारा
से करा दिया जाता है प्रमुख होता।

एत परा सकरी है।

^P
दीनार नगर
मुंबई महानगरपालिका
विश्व भवन, ५२ वीं
१५-१०-२०२०

~~अप महा प्रदीपक प्रकाश~~

~~पृष्ठ ५३१~~

GST संबंधित प्रतिवेदन दे।

22

15	16	20
----	----	----

15/10/20

fee to Advocate concerned under RCM provision of contract
So GST amount of \$1000/- will be paid by BSE and after deducting
TDS of 10% (45000 or 450,000 before fee) Total remittance to
Advocate comes to 450,000
w/TDS 45000

LEVTS 45000

may be paid against Ratted Invoice. $\frac{405,000/-}{\text{Four Lacs Five Thousand Rupees}}$ for
15/10/20

Legal Section

कृपया उपरोक्त रिप्लायी अनलोकराग्य। माननीय सर्वोच्च
- न्यायालय, नई दिल्ली के अध्यक्षता श्री रंजीत कुमार के
विपक्ष की राशि Rs 4,50,000/- एवं वृद्ध की राशि (18%)
Rs 81,000/- कुल Rs 5,31,000 रुपये (वृद्ध सहित) के

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

भुगतान हेतु प्रबंध निदेशक महोदय से अनुमोदन प्राप्त करना चाहेंगे।

15/10/20

प्रबंधक

कृपया उपरोक्त रिप्ली अवलोकनार्थ।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार की रंजीत
कुमार के विपक्ष की राशि Rs 5,31,000/- (पाँच
लाख एक सौ हजार) रु. सहित के भुगतान हेतु
प्रबंध निदेशक महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया
जा सकता है।

मुख्य महाप्रबंधक (आर्थिक)

15/10/20

उपरोक्त लेखा की की
रकम की जा-अवकाश है।
15/10

प्रबंध निदेशक

15/10/20
(57/1000)

कृपया भवदीय अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार विपक्ष पारित
करने हेतु संबंधित उपमहाप्रबंधक लेखा एवं वजह को
दृष्टांति किया जा सकता है।

प्रबंधक

16/10/2020
Amitabh
L.D.C.

प्रबंध निदेशक कोषांग
संचिका भाग संख्या 1849
अनुसंधान दिनांक 15-10-2020
प्रेषण दिनांक

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

कृपया विपत्र पारित करने हेतु संचिका उप
महाप्रबंधक, लेखा एवं बजट को संप्रार्थित किया
जा सकता है।

मुख्य महाप्रबंधक (आचार्य)

16.10.20
(संयोजक विभा)

कृपया

16/4

उप महा (कृपया)

कृपया

20.10.2020

16.10.20

कृपया रिपोर्ट सं 11-14 अवलोकनार्थ।

श्री रंजीत कुमार अधिकारी के समर्पित विपत्र सं सं 41/प० पर कुल
4,50,000/- + 81,000/-(18%) = 5,31,000/- माँ 6.5.7 सहित की स्वीकृति
प्रबंध निदेशक महोदय से रिपोर्ट सं 13 पर प्राप्त की गई है
का विपत्र पारित करना चाहिए।

प्रबंधक

16/10/2020

Accountant
Accounts & Budget
Head Office, Patna

कृपया, पृ० 11-14/टि० पर विधि शाखा की टिप्पणी।

उपरोक्त टिप्पणी के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के
वरीय अधिकारी श्री रंजीत कुमार द्वारा पृ० सं० 41/प० पर समर्पित विपत्र
की राशि 4,50,000/- रु० एवं जी०एस०टी० (18%) की राशि 81,000/- रु०
कुल 5,31,000/- (पाँच लाख एककतीस हजार) रु० का श्री शंकर झा, अंकेक्षण
पदाधिकारी, निगम मुख्यालय द्वारा जॉर्चोपरान्त इसके भुगतान की स्वीकृति पृ०
सं० 13/टि० पर प्रबंध निदेशक महोदय से प्राप्त है।

अतः प्राप्त स्वीकृति के आलोक में स्वीकृत राशि 5,31,000/- (पाँच लाख
एककतीस हजार) रु० मात्र का विपत्र जी०एस०टी० सहित पारित करने हेतु संचिका
महाप्रबंधक वित्त को संप्रार्थित की जा सकती है।

उप महाप्रबंधक (लेखा एवं बजट)

कृपया उप महाप्रबंधक को संप्रार्थित किया जा सकता है।

16.10.20

20.10.2020

महाप्रबंधक (कृपया)

16.10.2020
नाजली हसनैन
प्रबंधक
लेखा एवं बजट शाखा

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

कृपया माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के वरीय अधिवक्ता के भुगतान हेतु महाप्रबंधक विन के भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप पृष्ठ संख्या 43/40 पर हस्ताक्षरार्थ उपस्थापित।

मुख्य महाप्रबंधक (अधि०)

21.10.20
A. K. Kumar

21/10

कृपया पृष्ठ सं० 57-44/40 पर रक्षित श्री मनीष कुमार, अधिवक्ता के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के वरीय अधिवक्ता, श्री रंजीत कुमार के विपत्र भुगतान के संबंध में भेजे गये पत्र का अवलोकन करना चाहेंगे। श्री कुमार के विपत्र का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं०	वाद संख्या	कोर्ट नं०/दिनांक	विपत्र की राशि
1	2	3	4
1	SLP (c) No.- 10455/2020	04/11-01-2021	4,50,000/-

विदित हो कि पूर्व में विधि शाखा की संचिका सं० 13:10:127:01:2020 के टिप्पणी पृष्ठ सं० 13-14/40 पर प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा श्री रंजीत कुमार, वरीय अधिवक्ता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली निगम की ओर से पैरवी कराने हेतु अनुमति दी गयी है। (पृष्ठ सं० 29-26/40 पर द्रष्टव्य)

अतः यदि मान्य हो तो वरीय अधिवक्ता, श्री रंजीत कुमार को SLP (c) No.- 10455/2020 संजय कुमार बनाम बी०एस०एफ०सी० में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दिनांक-11.01.2021 को बहस करने की फीस की राशि 4,50,000/रु० (चार लाख पचास हजार) के भुगतान की स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व एक बार पुनः विपत्र की जाँच अंकेक्षण शाखा से कराया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः यदि मान्य हो तो श्री कुमार द्वारा समर्पित विपत्र की जाँच हेतु संचिका उप महाप्रबंधक, अंकेक्षण को पृष्ठांकित की जा सकती है।

प्रबंधक/विधि।

कृपया वरीय अधिवक्ता, श्री रंजीत कुमार को SLP (c) No 10455/2020 में संजय कुमार बनाम B.S.F.C के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के दिनांक 11.01.2021 को लक्ष फीस के विपत्र के संबंध में भेजे गए पत्र का अवलोकन करना चाहेंगे। श्री कुमार की फीस की राशि 4,50,000/रु० (Four lakh and fifty thousand only) के भुगतान की स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व एक बार पुनः विपत्र की जाँच अंकेक्षण

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

शास्त्र से ज्ञात जाता है कि प्रतीत होता है।
अतः मदी शान्य है तो निम्न के जोर्य हेतु संविदा
उप महा प्रबंधक अंकेक्षण की प्रत्यक्षित की जा सकती है।

13-01-2021

मुख्य महाप्रबंधक (आर्थिक)

कृष्णा

13/1

महा प्रबंधक (आर्थिक)

प्राप्त विपत्र व कांवेरों की

13.1.21

उप महा प्रबंधक (कांवेरों)

निम्नोक्त का समस्त कार्य प्रान्त अंकेक्षण विभाग की
दखल की जाय।

13.01.2021
शंकर झा

श्री दिनेश कुमार सिंह, अंकेक्षण उप महा प्रबंधक, अंकेक्षण
पदाधिकारी, श्री मुनिष केसरी अंकेक्षण
श्री रंजीत कुमार, वरीय अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली, सांची भा प्रहट
व। पर समर्पित विपत्र की राशी का मिलान, भुगतान हेतु प्रस्तावित राशी
से किया एवं इसे सही पाया। आयकर सहित विपत्र की कुल राशी 531000=00
(पाँच लाख इकतीस हजार) लक्ष मात्र है।

14/01/21
अंकुश पदक

उप महा प्रबंधक अंकेक्षण

अंकेक्षण पदाधिकारी की दिशा में के आदेशों में
श्री रंजीत कुमार, वरीय अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय नयी
दिल्ली की आज्ञा के अन्तर्गत कुल 5,31,000=00 (पाँच लाख
एकतीस हजार) आज के भुगतान हेतु आनन्दक अश्वेत
आचार्य की जा सकती है।

14.01.2021
शंकर झा
उप महा प्रबंधक, अंकेक्षण

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

महाप्रबंधक वि.स.

सुप.प.

श्री

21/1/21

SLA

As Per Bill :-

Total Bill:-

Add GST @ 18%.

Gross Bill

less Bill @ 18%.

less T.D.S @ 10%.

Net Payable Rs. to Advocate

4,50,000

81,000

5,31,000

81,000

4,50,000

45,000

4,05,000

The Calculation of G.S.T and T.D.S amount, has been done. It is to be noted that T.D.S Rate under Section-194J is 7.5% till 31st March 2021. Putting forward for your information and necessary action.

Com. Finance

Sh. Shivam Kumar
21/1/21 S.L.A

श्री

महाप्रबंधक (वि.स.) 27/1/21

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

कृपया डिप्टी एच-17/90 S.C.A. द्वारा की गई डिप्टी अवलोकनार्थ/माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के अतिवक्ता श्री इंजीन कुमार के विषय की राशि Rs - 4,50,000/- शेष G.S.T की राशि (18%) Rs - 81,000/- कुल - Rs - 5,31,000/- शेष (GST राशि) के भुगतान हेतु प्रत्येक निर्देशक सहोदय से अनुमोदन प्राप्त करना चाहेंगे।

A. Jaiswal
28/01/2021

प्रबंधक/विधि

कृपया उक्त डिप्टी अवलोकनार्थ/माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के अतिवक्ता श्री इंजीन कुमार के विषय की राशि - Rs. 4,50,000/- + GST Rs 81,000/- = कुल Rs 5,31,000/- के भुगतान हेतु प्रत्येक निर्देशक सहोदय से अनुमोदन प्राप्त करना चाहेंगे।

A. Jaiswal
28.1.2021

मुख्य महाप्रबंधक (अधि०)

कृपया

उद्देश प्रताप सिंह
मुख्य महाप्रबंधक (अधि०)

प्रबंधक/विधि

28/1/21
C. H. / P. H.

प्रबन्ध निदेशक कोषांग
सचिका आगल संख्या... 213
आगत तिथि... 28.1.2021
प्रेषण तिथि... 28/01/2021

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

कृपया आवधिक अनुमोदनापत्र विभागाद्वारा विपन्न पारित करने हेतु संबंधित उपमहाप्रबंधक लेखा एवं वजत को प्रेषित किया जा सकता है।

A. S. R.
29/01/2021

प्रबंधक विधि

कृपया अनुमोदनापत्र विपन्न पारित करने हेतु संबंधित उपमहाप्रबंधक लेखा एवं वजत को प्रेषित किया जा सकता है।

29.1.2021

मुख्य महाप्रबंधक (डा.वि.)

29/1

उपमहाप्रबंधक लेखा एवं वजत / महाप्रबंधक वि.

अथवा

कृपया, टि० पृ० 15 से उपरोक्त टिप्पणी अवलोकनार्थ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री रंजीत कुमार के समर्पित विपन्न (57-44/प०) का अंकेक्षण जॉच श्री शम्भुनाथ केशरी, अंकेक्षण पदाधिकारी द्वारा 16/टि० पर एवं कर गणना जॉच 17/टि० पर राज्य स्तरीय वित्तीय सलाहकार द्वारा की गयी तदालोक में अनुशंसित राशि 5,31,000.00 (पाँच लाख एकतीस हजार) रु० + जी०एस०टी० की राशि 81,000.00 कुल 5,31,000.00 (पाँच लाख एकतीस हजार) रु० के भुगतान की स्वीकृति प्रबंध निदेशक महोदय से 18/टि० पर प्राप्त है।

अतः प्राप्त स्वीकृति के आलोक में कुल 5,31,000.00 (पाँच लाख एकतीस हजार) रु० का विपन्न पारित किया जा सकता है।

प्रबंधक।

(नयना तेजस्विनी)
लेखापाल,
लेखा एवं वजत

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

कृपया, टि० पृ० 15 से उपरोक्त टिप्पणी अवलोकनार्थ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता, श्री रंजीत कुमार के समर्पित विपत्र (57-44/प०) का अंकेक्षण जॉच श्री शम्भुनाथ केशरी, अंकेक्षण पदाधिकारी द्वारा 16/टि० पर एवं कर गणना जॉच 17/टि० पर राज्य स्तरीय वित्तीय सलाहकार द्वारा की गयी तदालोक में अनुसृत राशि 4,50,000.00 (चार लाख पचास हजार) रु० + जी०एस०टी० की राशि 81,000.00 कुल 5,31,000.00 (पाँच लाख एकतीस हजार) रु० के भुगतान की स्वीकृति प्रबंध निदेशक महोदय से 18/टि० पर प्राप्त है।

अतः प्राप्त स्वीकृति के आलोक में कुल 5,31,000.00 (पाँच लाख एकतीस हजार) रु० का विपत्र पारित किया जा सकता है।

[Signature]
(नयना तेजस्विनी)
लेखापाल,
लेखा एवं बजट

प्रबंधक।

कृपया, उपरोक्त टिप्पणी के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के वरीय अधिवक्ता, श्री रंजीत कुमार द्वारा समर्पित पृ० सं० 57-44/प० पर रक्षित विपत्र का श्री शम्भुनाथ केशरी, अंकेक्षण पदाधिकारी, निगम मुख्यालय द्वारा अंकेक्षण एवं जॉचोपरान्त एवं राज्य स्तरीय वित्तीय सलाहकार द्वारा गणना एवं जॉच के उपरान्त अनुसृत राशि 4,50,000.00 (चार लाख पचास हजार) रु० + जी०एस०टी० की राशि 81,000.00 कुल 5,31,000.00 (पाँच लाख एकतीस हजार) रु० के भुगतान की स्वीकृति प्रबंध निदेशक महोदय से 18/टि० पर प्राप्त है।

अतः प्राप्त स्वीकृति के आलोक में कुल 5,31,000.00 (पाँच लाख एकतीस हजार) रु० जी०एस०टी० सहित का विपत्र पारित किया जा सकता है।

प्रभारी लेखा पदाधिकारी (लेखा एवं बजट)।

[Signature]
02.02.2021
नाजली हसनैन
प्रबन्धक
लेखा एवं बजट शाखा

स्वीकृत कुल रकम 5,31,000/- (पाँच लाख एकतीस हजार) मात्र GST सहित का विपत्र पारित किया जा सकता है।

उपमहाप्रबन्धक (लेखा एवं बजट)
महाप्रबन्धक (वित्त)

[Signature]
02/02/2021
प्रभारी लेखा पदाधिकारी
लेखा एवं बजट

कृपया उपरोक्त पृष्ठों (28 अक्षरों के) निम्न पालन।

[Signature]
3.2.21

उप महाप्रबन्धक
लेखा एवं बजट शाखा
निगम मुख्यालय, पटना

उपमहाप्रबन्धक (वित्त)

[Signature]
वित्त एवं आंतरिक वित्तीय सलाहकार
बिहार राज्य खाद्य एवं औद्योगिक आपूर्ति निगम लि.
मुख्यालय, पटना

[Signature]

[Signature]
3.2.21

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

कृपया माननीय सलेक्ट न्यायालय नई दिल्ली के वरीय अधिवक्ता के गुप्तान हेतु महाप्रबंधक पत्र को लगे जाने वाले पत्र का प्रारूप पृष्ठ संख्या - 58/पं पर हस्ताक्षरार्थ उपस्थापित।

1
H. N. S. S.
03/02/2021

प्रबंधक विधि

कृपया माननीय सलेक्ट न्यायालय, नई दिल्ली के वरीय अधिवक्ता, श्री वेंकटेश कुमार के पत्र के गुप्तान हेतु महाप्रबंधक पत्र को लगे जाने वाले और सरकारी पत्र का प्रारूप पृष्ठ सं. 58/पं पर हस्ताक्षरार्थ उपस्थापित।

Niraj
3.2.21

मुख्य महाप्रबंधक (आदि)

3/2

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

कृपया पृष्ठ सं० 72-60/प० पर रक्षित श्री मनीष कुमार, अधिवक्ता के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के वरीय अधिवक्ता, श्री रंजीत कुमार के विपत्र भुगतान के संबंध में भेजे गये पत्र का अवलोकन करना चाहेंगे। श्री कुमार के विपत्र का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम सं०	वाद संख्या	कोर्ट नं०/दिनांक	विपत्र की राशि
1	2	3	4
1	SLP (c) No.- 10455/2020	04/07-04-2021	4,50,000/-

विदित हो कि पूर्व में विधि शाखा की संचिका सं० 13:10:127:01:2020 के टिप्पणी पृष्ठ सं० 13-14/प० पर प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा श्री रंजीत कुमार, वरीय अधिवक्ता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली निगम की ओर से पैरवी कराने हेतु अनुमति दी गयी है (पृष्ठ सं० 29-26/प० पर द्रष्टव्य)।

ज्ञात हो कि वरीय अधिवक्ता, श्री रंजीत कुमार को SLP (c) No.- 10455/2020 संजय कुमार बनाम बी०एस०एफ०सी० में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दिनांक-07.04.2021 के Order Sheet पर वरीय अधिवक्ता, श्री रंजीत कुमार का नाम अंकित नहीं है, जो पृष्ठ संख्या-60-61/प० पर द्रष्टव्य है।

अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दिनांक-07.04.2021 को SLP (c) No.- 10455/2020 संजय कुमार में की गई सुनवाई में वरीय अधिवक्ता, श्री रंजीत कुमार के फीस भुगतान के संबंध में प्रबंध निदेशक महोदय से अग्रेतर कार्रवाई हेतु निर्णय प्राप्त करना चाहेंगे।

उप महाप्रबंधक, विधि।

Handwritten signature
06/08/24

पुनश्च:

कृपया पृष्ठ सं० 72/प० पर रक्षित श्री मनीष कुमार, अधिवक्ता के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के वरीय अधिवक्ता, श्री रंजीत कुमार के विपत्र भुगतान के संबंध में भेजे गये पत्र का अवलोकन करना चाहेंगे। श्री कुमार के विपत्र का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम सं०	वाद संख्या	कोर्ट नं०/दिनांक	विपत्र की राशि
1	2	3	4
1	SLP (c) No.- 10455/2020	04/07-04-2021	4,50,000/-

ज्ञात हो कि वरीय अधिवक्ता, श्री रंजीत कुमार को SLP (c) No.- 10455/2020 संजय कुमार बनाम बी०एस०एफ०सी० में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दिनांक-07.04.2021 के सुनवाई का फीस भुगतान के संबंध में श्री मनीष कुमार द्वारा e-mail के माध्यम से विपत्र प्राप्त कराया गया (पृष्ठ सं०-73/प० पर द्रष्टव्य) एवं दिनांक-07.04.2021 के Order Sheet के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वरीय अधिवक्ता, श्री रंजीत कुमार का नाम अंकित नहीं है (पृष्ठ सं० 70-60/प० पर द्रष्टव्य)।

अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दिनांक-07.04.2021 को SLP (c) No.- 10455/2020 संजय कुमार में की गई सुनवाई में वरीय अधिवक्ता, श्री रंजीत कुमार के फीस भुगतान के संबंध में श्री मनीष कुमार, अधिवक्ता से Clarification की माँग की जा सकती है।

उक्त के आलोक में प्रबंध निदेशक महोदय से अग्रेतर कार्रवाई हेतु निर्णय प्राप्त करना चाहेंगे।

उप महाप्रबंधक, विधि।

Handwritten signature
06/08/24

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

कृपया पृष्ठ 72/प0 पर रक्षित श्री मनीष कुमार, अधिवक्ता के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता, श्री रंजीत कुमार के विपत्र भुगतान के संबंध में भेजे गये पत्र अवलोकनार्थ।

SLP (c) No.-10455/2020 संजय कुमार बनाम बी0एस0एफ0सी0, नई दिल्ली में दिनांक-07.04.2021 के सुनवाई के Order Sheet में वरीय अधिवक्ता, श्री रंजीत कुमार का नाम अंकित नहीं है। (पृष्ठ संख्या- 70-60/प0 पर दृष्टव्य)

अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दिनांक- 07.04.2021 को SLP (c) No.-10455/2020 में श्री रंजीत कुमार के फीस भुगतान के संबंध में भवदीय से अग्रेतर कार्रवाई हेतु निर्णय प्राप्त करना चाहेंगे।

प्रबंध निदेशक।

निरज कुमार शर्मा
उप महाप्रबंधक, क्रय एवं विधि

श्री मनीष कुमार, अधिवक्ता के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता, श्री रंजीत कुमार के विपत्र भुगतान के संबंध में भेजे गये पत्र का प्रारूप पृष्ठ सं0-74/प0 पर अवलोकनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ उपस्थापित।

D 47/leg

उक्त में प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में श्री मनीष कुमार, अपर स्थायी सलाहकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप पृष्ठ सं0-74/प0 पर अवलोकनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ उपस्थापित।

उप महाप्रबंधक, विधि।

निरज कुमार शर्मा
09/08/21

निरज
9.8.21

प्रबंध निदेशक कोषांग
सचिका अंकित संख्या 1571
आगत तिथि 07.08.2021
प्रेषण तिथि 07.08.2021

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

कृपया पृष्ठ सं०-80/प० पर रक्षित श्री मनीष कुमार, अधिवक्ता के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के वरीय अधिवक्ता, श्री रंजीत कुमार के विपत्र भुगतान के संबंध में भेजे गये विपत्र का अवलोकन करना चाहेंगे। श्री रंजीत कुमार के विपत्र का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम	वाद संख्या	कोर्ट नं०/दिनांक	विपत्र की राशि
1	2	3	4
1	SLP (c) No. 10455/2020	14/ 20-01-2023	₹ 4,50,000/-

विदित हो कि पूर्व में विधि शाखा की सचिका सं० 13:10:127:01:2020 के टिप्पणी पृष्ठ सं० 13-14/प० पर प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा श्री रंजीत कुमार, वरीय अधिवक्ता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली निगम की ओर से पैरवी कराने हेतु अनुमति दी गयी है (पृष्ठ सं० 29-26/प० पर द्रष्टव्य)।

अतः यदि मान्य हो तो वरीय अधिवक्ता, श्री रंजीत कुमार को SLP (c) No. 10455/2020 संजय कुमार बनाम बी०एस०एफ०सी० में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दिनांक-20.01.2023 को बहस करने की फीस ₹० 4,50,000/- (चार लाख पचास हजार रूपए मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व एक बार पुनः विपत्र की जाँच अंकेक्षण शाखा से कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव श्री रंजीत कुमार द्वारा समर्पित विपत्र की जाँच हेतु सचिका उप महाप्रबंधक, अंकेक्षण को पृष्ठांकित की जा सकती है।

30/01/23

उप महाप्रबंधक, क्रय एवं विधि।

रुप्पा

DHM-Audit

31/01/23
अमरेश प्रकाश
उपमहाप्रबंधक, क्रय एवं विधि

₹ 45,000/- जाँच कर 34 स्थानित
Dr. 1
1/2/23

Sri Abhay KR Gupta (Audit Officer)

₹ 50/25.

13.10.2018

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

आवधिक निवेदन के अन्तर्गत से. सी. प्र. वि. १०/८० पर शक्ति श्री रामेश कुमार, आधिकार के द्वारा माननीय सचिव तथा व्यवस्थापक नरेंद्र सिंह के त्रयीय आधिकार, श्री रंजीत कुमार के सेपरेट भुगतान के अन्तर्गत से का मिलान सचिका। दि. १०/१०/१८ पर चिपकने से किया गया एवं विपत्र की राशि रु ४,५०,०००/- (कर रहित) से ही पाया गया। उक्त अन्तर्गत से Order Sheet से. प्र. वि. १०/८० पर शक्ति है। आधिकार के कार्यों के मुताबिक निधि द्वारा किया गया है। पुनः से. इसी राशि रु ४,५०,०००/- (कर रहित) का अनुमोदन प्रमुख निवेदन. महोदय द्वारा किया गया है। (प्र. वि. १३)।

करी की लागत इस प्रकार की गयी:—	
विपत्र की राशि रु	4,50,000
① 18% GST	81,000
"क" आवतमा प्राप्त करमैयन राशि रु	5,31,000
② 18% GST / RCM	81,000
③ TDS @ 10%	45,000
कुल आवतमा की अनुमति राशि रु	4,05,000

करी के कर एवं लागत के स्थापन हेतु सचिका को राज्य स्तर पर जिन प्रामाणिकों के द्वारा से प्रस्तावित किया जा सकता है। उप महाप्रबंधक के केवल

अमर कुमार
01/10/23
अंक, प्रका

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

SLA

हुमा

03/2/23

उप महाप्रबंधक अंकेक्षण

उपर्युक्त करी के दर एवं गणना का अवलोकन

किया गया जो कि सही पाया गया।

अग्रेतर कारवाई हेतु संचिका उपस्थापित।

Suman Kumar
04-02-2023
SLA

उप महाप्रबंधक, अंकेक्षण

हुमा

04/02/23

DGM (Purchase & Legal)

त्रिभुवन प्रसाद सिंह
उप महाप्रबंधक, अंकेक्षण

कृपया, टिप्पणी पृष्ठ 26-25/टि0 पर अंकेक्षण शाखा द्वारा दी गई टिप्पणी का अवलोकन करना चाहेंगे। श्री रंजीत कुमार, वरीय अधिवक्ता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिए गए विपत्र पर जी0एस0टी0 एवं टी0डी0एस0 की गणना निम्नवत है :-

Bill Amount	4,50,000/-
GST @ 18%	81,000/-
Total Amount	5,31,000/-
Less GST@18%	81,000/-
TDS@10%	45,000/-
Net payable Amount	4,05,000/-

अतः यदि मान्य हो तो श्री रंजीत कुमार, वरीय अधिवक्ता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा समर्पित विपत्र की राशि रू0 5,31,000/- (पाँच लाख, इकत्तीस हजार रुपए मात्र) जी0एस0टी0 सहित भुगतान हेतु प्रबंध निदेशक महोदय से स्वीकृति प्राप्त करना चाहेंगे।

01/03/23

उप महाप्रबंधक (क्रय एवं विधि)।

श्री0 आरुण सिंह जी 'क' अवकाशगारों के कृपाशील

महाप्रबंधक श्री. ड.

मुख्य महाप्रबंधक श्री. ड.

कृपया

04/03/23

अमरेश प्रकाश
उप महाप्रबंधक क्रय एवं विधि

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

प्रबन्ध निदेशक कोषाग
संचिका आगत संख्या... 610
आगत तिथि... 06.03.2023
प्रेषण तिथि... 10.03.2023

20.4.2023 दिनांक 20.4.2023
अनुमोदनार्थ

अनुमोदनार्थ

06/03/23
मृत्युंजय कुमार
मुख्य महाप्रबंधक, (अधिष्ठाता)

10/03/23

अनुमोदनार्थ

कृपया, उक्त में भवदीय से अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार विपत्र पारित करने हेतु संचिका उप महाप्रबंधक, लेखा एवं बजट को पृष्ठांकित किया जा सकता है।

10/03/23

उप महाप्रबंधक, क्रय एवं विधि।

क्रय

13/03/23

DHM A/c & Budget

क्रय

13.03.2023

लेखापाल

कृपया, दिवसीय 22 से अधिन विपत्र का अवलोकन करना चाहेंगे। श्री रंजीत कुमार, परिसर अधिकारी, भानसिंह सुबेन्धु न्यायालय, नई दिल्ली के विपत्र की राशि 5,31,000 रुपये मात्र पुराना पटल भुगतान के संबंध में सूत्रम अधिकार से स्वीकृति प्राप्त है।

→ next page

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

प्राप्त स्वीकृति के आलोक में स्वीकृति की राशि मात्र 5,31,000/- रुपये मात्र राशि है - [पाँच लाख एकतीस हजार] रुपये मात्र का विपत्र पारित किया जा सकता है जो कि GST सहित है।

13/03/23

धीरंजन कुमार

लेखापाल

लेखा एवं बजट शाखा

प्र. नं० ५५० (A 25)

क़ासत कुल स्वीकृत राशि रक० 5,31,000/- (पाँच लाख एकतीस हजार) मात्र का विपत्र पारित किया जा सकता है।

13/3/23

मो० बाबिन

प्रभाती रूपा महाप्रबंधक

उपमहाप्रबंधक (लेखा एवं बजट)

कृपया, उपर्युक्त अख्यतम दिवसों के अनुसार श्री राजेश कुमार, परामर्श अधिकारी, माननीय सचिव, नई दिल्ली द्वारा संपादित कुल 5,31,000/- (पाँच लाख एकतीस हजार) मात्र GST सहित का विपत्र (प्र. नं० - 81/५०) पारित करें।

13.03.2023

नाजली हसन
प्रभाती रूपा महाप्रबंधक
लेखा एवं बजट

महोदय १५५ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९

M M Legal Purchase

श्री. वि. कुमार,
महाप्रबंधक वित्त एवं आंतरिक वित्तीय सलाहकार
बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम लि.
मुख्यालय पटना

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

कृपया, टिप्पणी पृष्ठ-27/टि0 पर प्रबंध निदेशक महोदय के अनुमोदनोपरान्त वरीय अधिवक्ता, श्री रंजीत कुमार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा समर्पित विपत्र के भुगतान के संबंध में महाप्रबंधक, वित्त एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, निगम मुख्यालय, पटना को भेजे जाने वाले गै0स0 पत्र का प्रारूप पृष्ठ संख्या-82/प0 पर अवलोकनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ उपस्थापित।

1
Ajit
15/03/23

उप महाप्रबंधक, क्रय एवं विधि।

15/03/23

कृपया पृष्ठ सं0 : 85-83/प0 पर रक्षित श्री मनीष कुमार, अधिवक्ता के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के वरीय अधिवक्ता, श्री रंजीत कुमार के विपत्र भुगतान के संबंध में भेजे गए विपत्र का अवलोकन करना चाहेंगे।

श्री रंजीत कुमार के विपत्र का विवरणी निम्न प्रकार से है :-

वाद संख्या	कोर्ट नं0/दिनांक	अधियाचित राशि	भुगतय योग्य विपत्र की राशि
1	2	3	4
SLP (c) No. 10455/2020	15/ 16-07-2024	5,50,000/-	4,50,000/-

विदित हो कि पूर्व में विधि शाखा की संचिका सं0 13:10:127:01:2020 के टिप्पणी पृष्ठ सं0 13-14/प0 पर प्रबंध निदेशक द्वारा श्री रंजीत कुमार, वरीय अधिवक्ता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में निगम की ओर से पैरवी करने हेतु अनुमति दी गई है (पृष्ठ सं0 28-26/प0 पर द्रष्टव्य)। निगम मुख्यालय, पत्रांक-7287 दिनांक-10.09.2020 से उक्त वाद में पैरवी करने हेतु प्राधिकृत किया गया है (पृष्ठ सं0-29/प0 पर द्रष्टव्य)।

SLP (c) No. 10455/2020 संजय कुमार एवं अन्य बनाम बी0एस0एफ0सी0 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के वेबसाइट पर आदेश की प्रति से मिलान किया गया है (आदेश की प्रति पृष्ठ संख्या : 97-86/प0 पर द्रष्टव्य)।

अतः यदि मान्य हो तो वरीय अधिवक्ता, श्री रंजीत कुमार को SLP (c) No. 10455/2020 संजय कुमार एवं अन्य बनाम बी0एस0एफ0सी0 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दिनांक-16.07.2024 को पैरवी करने की फीस रू0 4,50,000/- (चार लाख पचास हजार रुपए मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व एक बार पुनः विपत्र की जाँच अंकेक्षण शाखा से कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव श्री रंजीत कुमार द्वारा समर्पित विपत्र की जाँच हेतु संचिका उप महाप्रबंधक, अंकेक्षण को पृष्ठांकित की जा सकती है।

1
Ajit
05/08/24

उप महाप्रबंधक, क्रय एवं विधि।

क्रय
05/08/24
Ajit

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

कृपया संकेक्षण जॉन को दिव्यगी दर्ज करें।

श्री रंजित कुमार (अंकेक्षण)

रंजित
5.8.24

वरीय अधिकता श्री रंजीत कुमार द्वारा SLP(C) NO 10455/2020 संजय कुमार एवं अन्य बनाम बी० एस० एफ० सी० माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दिनांक 16/07/24 को पैरवी की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के बेबसाइट पर आदेश की प्रति से मिलान किया गया है। श्री रंजीत कुमार द्वारा उक्त वाद में पैरवी करने की फीस ₹ 5,50,000=00 की विषय के माध्यम से अधिपान की गई है। (पृष्ठ 84 प्रथम)

निगम मुख्यालय (मुख्य महाप्रबंधक अधिपान) के फॉर्म नं० 7287 दिनांक 10-09-20 के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में बी० एस० एफ० सी० की ओर से पैरवी करने/वादों की सुनवाई एक साथ होने पर Rs 4,50,000 per appearance पर श्री रंजीत कुमार की फीस 4,50,000=00 को भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है।

उक्त पत्र के आलोक में श्री रंजीत कुमार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दि० 16/07/24 को पैरवी। अन्य वादों की सुनवाई एक साथ होने पर appearance के लिए 4,50,000=00 (चार लाख पचास हजार) को भुगतान की अनुमान्यता बनती है। भुगतान के पूर्ण होने की गणना SLA द्वारा काई जानी चाहिए। अग्रेतर कारवाई हेतु संचिका पृष्ठ संकेत की जाती है।

रंजित
07/08/24
(अंकेक्षण पदा)

उप महाप्रबंधक (अंकेक्षण)

कृपया संकेक्षण पदा द्वारा दि० जॉन जॉन दिव्यगी के आलोक में अग्रेतर कारवाई हेतु संचिका विधि शाखा को प्रेषित किया जा रहा है।

उप महाप्रबंधक (अंकेक्षण)

रंजित
5.8.24

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

वरीय अधिवक्ता, श्री रंजीत कुमार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा SLP (c) 10455/2020 में दिनांक-16.07.2024 को की गयी पैरवी का विपत्र समर्पित किया गया है। समर्पित विपत्र में अंकेक्षण शाखा द्वारा 4,50,000/- रु0 (चार लाख पच्चास हजार रूपया) भुगतान योग्य सही बताया गया है।

अतः विपत्र की जाँच एवं टी0डी0एस0 की गणना करने हेतु संचिका महाप्रबंधक वित्त एवं आंतरिक वित्तीय सलाहकार, निगम मुख्यालय, पटना को पृष्ठांकित की जा सकती है।

उप महाप्रबंधक, क्रय एवं विधि।

कृपया।

23/08/27

G.M. ~~Finance~~ Admin

कृपया।

G.M. (Finance)

27/08/24

अमरेश कुमार अमर
महाप्रबंधक, सामान्य प्रशासन

उपरोक्त दि. के आलेख में संचिका अनुसंधान
कॉपी में पृष्ठांकित।

शैलेन्द्र कुमार
महाप्रबंधक, वित्त

S/A / JGM 83B

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

Professional fee Payable	= 4,50,000.00
Less: Income Tax TDS @ 10%	45,000.00
Net Payable to Party.	<u>4,05,000.00</u>

Suman Kumar
28-08-2024

For
K R A & Co.
Chartered Accountants
State Level Agency
BSPFCL, Patna

Dam Account & Budget.

Please

29-08-24

AAO

29-08-24

29-08-24

29-08-24

29-08-24

कृपया, रिक्त पृष्ठ सं. (30) के तालाफ अधिनियम कार्यालय से
का अवलोकन करना चाहेंगे। वरिष्ठ अधिकारी,
श्री रंजीत कुमार, माननीय लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली-
द्वारा निगम की ओर से किसे उसे पेशी दिनांक 14/3/24
के विवाद निरुपण करना का पत्रांक 7287 दिनांक 10/3/20
के आदेश में SLP (C) NO- 10455/2020 बिहार राज्य खाद्य
निगम के नाम से श्री रंजीत कुमार व अन्य हेतु वादों की सुनवाई
एक लाख रुपये पर R.S. 4,50,000/- per Appearance पर
श्री रंजीत कुमार, वरिष्ठ अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली-
को अधिकृत करने हेतु एडवोकेट जनरल की ओर से अधिवक्ता
जॉयप्रकाश मिश्र की राशि 4,50,000/- (चार लाख पचास
हजार) रुपये प्राप्त की गई है सहित मुताबिक योग्य है।

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

जॉचोपरांत भुगतान के लेबंद में अग्रिम कार्रवाई हेतु
संचिका विधि शाखा को भिजा जा सकता है।

30/8/24
धीरंजन कुमार
लेखापाल
लेखा एवं बजट शाखा

प्रभारी लेखा पदाधिकारी
[लेखा एवं बजट]

गए पृष्ठ कार्यालय टिप्पणी के अपलोड करवा देंगे,
वरिय अधिवक्ता, श्री रंजीत कुमार द्वारा SLP Case No. 10455/2020 में
a Supreme Court में निगम का पक्ष रखने हेतु appearance fees
का विपत्र समर्पित किया गया है (Pg no 85 dt. 16-07-24)। उक्त विपत्र
की राशि ₹5,50,000/- है। BSFSC के फॉक ले. 7287 dt. 10-09-20
(Pg no 29) के अवलोकनानुसार उक्त विपत्र में ₹ 4,50,000/- (₹ four lacs
fifty thousand) only/- भुगतान प्रतिन है।
अतः भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई हेतु संचिका विधि शाखा को
पृष्ठंकित किया जा सकता है।

सुधांशु
30-08-24
सुधांशु शेखर
प्रभारी लेखा पदाधिकारी
लेखा एवं बजट

उप-महाप्रबंधक (लेखा एवं बजट)

कृपया, उपरोक्त कार्यालय टिप्पणी के अनुसार वरीय अधिवक्ता, श्री रंजीत कुमार द्वारा
माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में SLP Case No. 10455/2020 अन्तर्गत निगम का
पक्ष रखने से संबंधित समर्पित विपत्र की कुल राशि 5,50,000/- (पाँच लाख पचास हजार)
रुपये मात्र में से कुल सकल राशि 4,50,000/- (चार लाख पचास हजार) रुपये मात्र
जॉचोपरांत भुगतान योग्य है।

अतः उक्त के आलोक में आवश्यक अग्रतर कार्रवाई हेतु मूल संचिका विधि शाखा,
निगम मुख्यालय को वापस की जा सकती है।

महाप्रबंधक वित्त एवं आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

DBM Legal

शैलेंद्र कुमार
महाप्रबंधक, वित्त

Naazli Hassan
20-08-2024
नाजली हसन
प्रभारी उप महाप्रबंधक
लेखा एवं बजट

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

कृपया, टिप्पणी पृष्ठ संख्या : 33-30/टि0 का अवलोकन करना चाहेंगे।

अंकेक्षण शाखा, वित्त शाखा एवं SLA द्वारा दी गई टिप्पणी के आलोक में वरीय अधिवक्ता, श्री रंजीत कुमार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली की विवरणी निम्न प्रकार से है :-

Bill Amount	4,50,000/-
Less TDS@10%	45,000/-
Net payable Amount	4,05,000/-

अतः यदि मान्य हो तो वरीय अधिवक्ता, श्री रंजीत कुमार के विपत्र की राशि रू0 4,50,000/- (Four Lacs fifty thousand rupee only) टी0डी0एस0 सहित भुगतान हेतु प्रबंध निदेशक से अनुमोदन प्राप्त करना चाहेंगे।

अमितेश रॉय
निम्नवर्गीय लिपिक

उप महाप्रबंधक, क्रय एवं विधि।

कृपया, वरीय अधिवक्ता, श्री रंजीत कुमार के विपत्र की राशि रू0 4,50,000/- (Four Lacs fifty thousand rupee only) टी0डी0एस0 सहित भुगतान हेतु प्रबंध निदेशक से अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।

अमरेश कुमार अग्र
उपमहाप्रबंधक क्रय एवं विधि

महाप्रबंधक, सामान्य प्रशासन।

कृपया, टिप्पणी पृष्ठ-29/टि0 से आगत टिप्पणी अवलोकनार्थ।

वरीय अधिवक्ता, श्री रंजीत कुमार के विपत्र की राशि रू0 4,50,000/- (Four Lacs fifty thousand rupee only) टी0डी0एस0 सहित भुगतान हेतु प्रबंध निदेशक से अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।

अमरेश कुमार अग्र
महाप्रबंधक, सामान्य प्रशासन

मुख्य महाप्रबंधक, अधिप्राप्ति।

कृपया उपरोक्त टिप्पणी अंश-"क" अनुमोदनार्थ।

कृपया ,

मृत्युंजय कुमार
मुख्य महाप्रबंधक, (अधिप्राप्ति)

डा० एन० सरवण कुमार

प्रबंध निदेशक।

प्रबन्ध निदेशक कोषांग
सचिका आगत संख्या 2196
आगत तिथि 02/09/24
प्रेषण तिथि 05/09/24

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

कृपया, टिप्पणी पृष्ठ-34/टि0 पर प्रबंध निदेशक के अनुमोदनोपरान्त विपत्र पारित करने हेतु संचिका लेखा एवं बजट को पृष्ठांकित की जा सकती है।

1
Activity
09/09/24

~~उप महाप्रबंधक, क्रय एवं विधि।~~

क्रय

10/09/24

~~D.M. A.S.~~

Please.

11.09.2024

~~Accountant~~

कृपया, वरीय अधिकारी, श्री रंजीत कुमार, माननीय सचिव-
न्यायालय, नई दिल्ली को विपत्र के बिल्ट रु 4,50,000/-
अपने मास ग.प.स. लखित भुगतान करने की स्वीकृति
संबंध निदेशक शाखा प्रधान की गई है। (खस- 34/टि0)

अधिकृत स्वीकृत राशि रु 4,50,000/-
(चार लाख पचास हजार) अपने मास ग.प.स. लखित
का विपत्र (98/40) पारित किया जा चुका है।

12/9/24

धीरंजित कुमार
लेखापाल
लेखा एवं बजट शाखा

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

Jr Account Officer
[Accounts & Budget]

पार पुरु कार्यालय दि-वली के आलोक में दि. १०.०९.२०१८ को आकर पद स्वीकृत पत्र २४००००/- LE Four Lacs fifty thousand only/- मात्र का लेखा परिन किया जा लकर, दि. १०.०९.२०१८, Sr. Adv. Mr. Ramjit Kumar } /

सुधाशु

14.09.24

सुधाशु शेखर

प्रभारी लेखा पदाधिकारी

लेखा एवं बजट

~~अ-महाप्रबंधक (लेखा एवं बजट)~~

As Proposed.

14.09.24
अ-महाप्रबंधक
प्रभारी उप महाप्रबंधक
लेखा एवं बजट

Please

14.09.24

DAM Purchase & Legal


Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.

कृपया, टिप्पणी पृष्ठ-34/टि0 पर प्रबंध निदेशक से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त बरीय अधिवक्ता, श्री संजीत कुमार के विपत्र के भुगतान हेतु महाप्रबंधक, वित्त, निगम मुख्यालय, पटना को भेजे जाने वाले गै0स0 पत्र का प्रारूप पृष्ठ संख्या-99/प0 पर अवलोकनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ उपस्थापित।



14.09.2024

उप महाप्रबंधक, क्रय एवं विधि।


14/09/24